भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3874
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- फसल नुकसान के संबंध में फसल बीमा संबंधी दावे

3874. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के बावजूद, श्रावस्ती और बलरामपुर के कई किसानों को समय पर बीमा दावे की राशि नहीं मिल पा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत प्राप्त दावों, स्वीकृत दावों और किए गए भुगतानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार फसल बीमा दावों के शीघ्र निपटान और इस योजना से अधिकतम किसानों को जोड़ने के लिए किसी नई प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का विवरण निम्नवत हैं:

(रुपये करोड़ में)

ज़िला	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
श्रावस्ती	34.19	33.86	0.32
बलरामपुर	17.89	17.68	0.22

अधिकांश दावों का निपटारा PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। तथापि, कुछ दावे मुख्य रूप से नामांकित किसानों के बैंक खातों के सत्यापन नहीं होने के कारण लंबित रह जाते हैं।

(ग): सरकार ने दावों के निपटान की समयसीमा को सुधारने और योजना के तहत बीमा कवरेज को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i): योजना के अंतर्गत दावों के समय पर निपटान के लिए:

- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) सब्सिडी भुगतान, सूचना प्रसार, किसानों के ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड करने/प्राप्त करने और दावे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए डेटा का एकल स्रोत है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक विशेष मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान हो सके।

- खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो NCIP के माध्यम से स्वतः ही गणना करके 12% का जुर्माना लगाया जाता है।

- केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में दिए जाने वाले हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।

- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी में राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी होने पर खरीफ 2025 से 12% का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को **CCE-Agri App** के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य लैंड रिकार्ड को NCIP के साथ एकीकृत करना और यस-टेक के माध्यम से रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान का उपयोग करना जैसे विभिन्न कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- **फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP)** यह डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन PMFBY के तहत व्यक्तिगत खेतों और भूखंडो के लिए स्थानीय आपदाओं/ फसलोपरांत होने वाले नुकसान के आकलन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) बीमा कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से:

- **AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए आवेदन):** खरीफ 2023 में किसानों को घर बैठे बीमा मध्यस्थों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उनका नामांकन कराने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप तैयार किया गया और लॉन्च किया गया। यह ऐप किसानों को पूरी तरह से कागज रहित और नकद भुगतान रहित अनुभव प्रदान करता है।

- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं को प्रसारित करने के लिए राज्यों, कार्यान्वित बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के नेटवर्क द्वारा जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

- इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ सीजन 2021 से सुविचारित 'क्रॉप इंश्योरेंश वीक/फसल बीमा सप्ताह' जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करना और किसानों विशेष रूप से चिन्हित आकांक्षी/जनजातीय जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके समग्र नामांकन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का आयोजन भी किया जा रहा है।

- सरकार ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के तहत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती हैं।

- इसके अतिरिक्त, जागरूकता सृजित करने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभों का प्रचार-प्रसार, क्षेत्रीय/स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विजुअल स्पॉट का प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में सूचना एवं संचार शिक्षा सामग्री का वितरण, किसान/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से SMS का प्रसार और किसानों, पंचायत सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स की ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।
